न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2020 (अपील)

उनवान

1– कैदारलाल पुत्र श्री बिरधीलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा

2– ज्यानाबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नि आनंदीलाल जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्टस)

बनाम

1– लटूरलाल पुत्र बिरधीलाल जी जाति मेघवाल मृतक जरिये कायम मुकामानः–
1/1.. बरजी बाई बेवा लटूरलाल मेघवाल
1/2. मायाराम आत्मज लटूरलाल मेघवाल
1/3. ओमप्रकाश आत्मज लटूरलाल मेघवाल निवासीगण ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा
1/4 सुमित्रा बाई पुत्री लटूरलाल जी पत्नि रमेश जाति मेघवाल निवासी चौपडाखेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
1/5 राजूबाई पुत्री लटूरलाल पत्नि श्री भोजराज जाति मेघवाल निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
1/6 भूलीबाई पुत्री लटूरलाल पत्नि नरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी पाटून्दा तहसील अन्ता जिला बांरा
2.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री विघाशंकर गोस्वामी (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. जगदीश नन्दवाना (अभिभाषक रेस्पोडेण्टस की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 1028 दिनांक 5.6.2020
न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 19.09.2024

1. अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1028 दिनांक

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

5..6..2020 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्टस की ओर से श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक उपस्थित हुऐ। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3 विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0न0 48 की 1.29 है0 व ख0न0 217 की 0.24 हेक्टर कुल दो किता की 2.16 है0 एवं 45 की 0.69 है0 ख0न0 63 की 0. 36 है0 ख0न0 64 की 0.72 है0 कुल तीन किता की 1.77 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है जो अपीलाण्ट के पिता व रेस्पो0 न0 1/1 ता 1/6 के दादा बिरधीलाल आत्मज श्री छोटूलाल जी मेघवाल के खाते व कब्जे काश्त की थी जो बिरधीलाल जी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट व रेस्पो0 के कब्जे काश्त में समभाग से 1/3, 1/3 हिस्से में चली आ रही है। बिरधीलाल जी के कब्जे काश्त की होने से विवादित भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पो न01 ता 6 का हिस्सा है परन्तु रेस्पो0 न02 के कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि 48 की 1.29 है0 व ख0न0 217 की 0.24 हेक्टर कुल दो किता की 2.16 है0 एवं 45 की 0.69 है0 ख0न0 63 की 0.36 है0 ख0न0 64 की 0.72 है0 कुल तीन किता की 1.77 है0 भूमि मृतक लटूरलाल के खाते गलत रूप से दर्ज कर दी। लटूरलाल के द्धारा अपने जीवनकाल मे कभी भी अपीलाण्ट को ग्राम टाकरवाड के ख0न0 48 की 1.29 है0 व ख0न0 217 की 0.24 हेक्टर कुल दो किता की 2.16 है0 एवं 45 की 0.69 है0 ख0न0 63 की 0.36 है0 ख0न0 64 की 0.72 है0 कुल तीन किता की 1.77 है0 भूमि मे से उनके 1/3 1/3 हिस्से भूमि के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं की परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान 1/1 ता 1/6 के मध्य उक्त भूमि को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता आ रहा है और प्रति न0 1/1 ता 1/6 लटूरलाल के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि पर से अपीलाण्ट को बेदखल कर भूमि को रहन बैय करने खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने पर अपीलाण्ट द्धारा सहायक कलक्टर दीगोद में वाद स्थापित किया है जो वर्तमान में भी लंबित चला रहा है सहायक कलक्टर दीगोद में प्रस्तुत वाद बउनवान कैदारलाल वर्गेरा बनाम लटूरलाल मृतक जर्ये का0मु0 1/1 बरजी बाई में प्रस्तुत प्रा0पत्र 212 में प्रथम तोर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जिसको दिनांक 28.02. 2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्धारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्धारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई जिसकी जानकारी रेस्पो0 को है उक्त अपील व वाद लंबित रहते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्धारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने मे त्रुटि की है जो कानून का हर प्रकार से उल्लंधन है। जब तक दावे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उक्त नामान्तरकण तस्दीक नहीं करना चाहिये था। उक्त वाद में ही पक्षकारान के हित व हिस्सा निर्धारित होगे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश नामान्तरकरण संख्या 1028 दिनांक 5.06.2020 निरस्त फरमाया जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

.4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का बहस में कथन है कि लटूरलाल पुत्र बिरधीलाल जी की मृत्यु के बाद वारिसान के नाम फोती इन्तकाल न0 1028 दिनांक 5.06.2020 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित आराजी है। हिस्सा पैतृक सम्पत्ति मे तय होगा। पैतृक सम्पत्ति के साथ ही स्वअर्जित सम्पत्ति का ख0न शामिल कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने भी ख0न 45 व 64 में इंतकाल पर स्टे नहीं दिया। यह आराजी उनको आवंटित हुई थी जिस पर अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने उक्त अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की उक्त अपील 2020 की है 14.10.2020 तक पेश करनी थी परन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील दिनांक 5.11.2020 को पेश की है। इस कारण अपील अन्दर मियाद नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 5.6.2020 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 21.09.2020 को पेश की गई है। जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 8.09.2020 को पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर दिनांक 9.09.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 14.09.2024 को नकल प्राप्त होने जानकारी होना बताया। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

6. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया। वकील द्वारा प्रा0पत्र दिनांक 25.01.2023 को स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ विवादित भूमि से सम्बन्धित नकल जमाबन्दी सम्वत 2043'–62 व 2036–39 पेश की है। सरकारी दस्तावेज होने से निर्णय में सहायक सिद्ध होगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेशा 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 25.01.2023 स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है।

7. वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन रहा है कि अपीलाण्ट द्वारा सहायक कलक्टर दीगोद में वाद स्थापित किया है जो वर्तमान में भी लंबित चल रहा है सहायक कलक्टर दीगोद में प्रस्तुत वाद बउनवान कैदारलाल वर्गेरा बनाम लटूरलाल मृतक जर्ये का0मु0 1/1 बरजी बाई में प्रस्तुत प्रा0पत्र 212 में प्रथम तोर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जिसको दिनांक 28.02.2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई जिसकी जानकारी रेस्पो0 को है उक्त अपील व वाद लंबित रहते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण

अति. जिला [illegible]
कोटा

तस्दीक करने मे त्रुटि की है जो कानून का हर प्रकार से उल्लंधन है। जब तक दावे का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उक्त नामान्तरकण तस्दीक नहीं करना चाहिये था। उक्त वाद में ही पक्षकारान के हित व हिस्सा निर्धारित होगे। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का बहस में कथन रहा कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की स्वअर्जित आराजी है। हिस्सा पैतृक सम्पत्ति मे तय होगा। पैतृक सम्पत्ति के साथ ही स्वअर्जित सम्पत्ति का ख0न शामिल कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने भी ख0न 45 व 64 में इंतकाल पर स्टे नहीं दिया। यह आराजी उनको आवंटित हुई थी जिस पर अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने उक्त अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की उक्त अपील 2020 की है 14.10.2020 तक पेश करनी थी परन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील दिनांक 5.11.2020 को पेश की है। इस कारण अपील अन्दर मियाद नहीं है।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट ने बहस दौरान यह अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,92 ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद सहायक कलक्टर दीगोद को प्रस्तुत कर रखा है। जो वर्तमान में भी लंबित चल रहा है। अतः उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध मे वाद सहायक कलक्टर दीगोद में विचाराधीन होने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

9 . परिणामस्वरूपः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

10 निर्णय आज दिनांक 19.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा